मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१६

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय—सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

३. धारा २ का संशोधन.

४. धारा ३५ का संशोधन.

५. धारा ४० का स्थापन.

६. धारा ४१ का स्थापन.

७. धारा ४५ का संशोधन.

८. धारा ४७-क का लोप.

९. धारा ४८-ख का स्थापन.

१०. धारा ५३ का संशोधन.

११. धारा ७३ का स्थापन.

१२. धारा ७६-क का स्थापन.

१३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१६

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (११) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(११) "**सम्यक् रूप से स्टाम्पित**" से जब वह, किसी लिखत के बारे में प्रयुक्त है, यह अभिप्रेत है कि इस अधिनियम की अनुसूची १ एवं अनुसूची १-क के अनुसार प्रभार्य समुचित रकम से अन्यून रकम का स्टाम्प उस लिखत पर लगा हुआ है तथा ऐसा स्टाम्प भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाया गया है या उपयोग में लाया गया है;";

(दो) खण्ड (११) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(११-क) "**ई-स्टाम्प अथवा इलैक्ट्रानिक स्टाम्प**" से अभिप्रेत है स्टाम्प शुल्क के भुगतान को निर्दिष्ट करने के लिए सृजित कोई इलैक्ट्रानिक रिकार्ड अथवा कागज पर उसकी छाप;";

(तीन) खण्ड (१२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(१२-क) "**परिबद्ध**" से अभिप्रेत है, लिखत को इस संदर्भ में उस पर किए गए पृष्ठांकन के साथ लोक अधिकारी की अभिरक्षा में लेना;";

(चार) खण्ड (१६-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(१६-ख) "**बाजार मूल्य**" से किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में, जो किसी लिखत की विषयवस्तु है, अभिप्रेत है इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित रीति में इस हेतु सशक्त अधिकारी द्वारा अवधारित वह कीमत, जो ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख को यदि खुले बाजार में विक्रय किया जाता तो उस संपत्ति के लिए प्राप्त हुई होती या प्राप्त होगी, अथवा लिखत में उपदर्शित प्रतिफल, जो भी लागू हो;

"(१६-ग) "**बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों**" से अभिप्रेत है, राज्य में विभिन्न ग्रामों, निवेश क्षेत्रों, नगरपालिकाओं, निगमों एवं पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित लिखत पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता अवधारित करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्यों की सूची;";

(पांच) खण्ड (२४) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(२४) "**व्यवस्थापन**" से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का कोई ऐसा लिखित निर्वसीयती व्ययन अभिप्रेत है, जो—

(क) विवाह के प्रतिफल के लिए किया गया है,

(ख) व्यवस्थापक की संपत्ति को उसके कुटुम्ब के बीच वितरित करने के प्रयोजन के लिए किया गया है, या

(ग) किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किया गया है,

और इसके अंतर्गत ऐसा व्ययन करने के लिए किया गया कोई लिखित करार सम्मिलित है और, जहां कि कोई ऐसा व्ययन लिखित में नहीं किया गया है, वहां किसी ऐसे प्रयोजन के निबन्धनों को, चाहे वह न्यास की घोषणा के तौर पर हो या अन्य प्रकार का हो, अभिलिखित करने वाली कोई लिखत;";

(छह) खण्ड (२६) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(२६) "**स्टाम्प**" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रयोजन के अन्तर्गत शुल्क प्रभारित करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा कोई चिन्ह, मुद्रा या पृष्ठांकन और इसमें आसंजक अथवा छापित मुद्रा, **अथवा ई-स्टाम्प** सम्मिलित है.".

धारा ३५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, परन्तुक में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(क) कोई ऐसी लिखत, उस शुल्क के जिससे कि वह प्रभार्य है, भुगतान कर दिये जाने पर अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम, स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से दो प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान कर दिये जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य, रजिस्ट्रीकृत अथवा अधिप्रमाणित होगी. परन्तु किसी भी मामले में इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी;";

(दो) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के अध्याय ९ या अध्याय १० के भाग घ के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दाण्डिक न्यायालय की किसी कार्यवाही में किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किए जाने से निवारित नहीं करेगी;";

(तीन) परन्तुक (च) का लोप किया जाए.

धारा ४० का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

परिबद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलक्टर की शक्ति.

"४०. (१) जबकि कलक्टर किसी लिखत को, जो रसीद या विनिमय-पत्र या वचन-पत्र नहीं है, धारा ३३ के अधीन परिबद्ध करता है, या धारा ३८ की उपधारा (२) के अधीन उसे भेजी गई किसी लिखत को प्राप्त करता है, तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा—

(क) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह यथास्थिति, सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या वह इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है;

(ख) यदि, जांच करने के पश्चात्, उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम, स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिये प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से दो प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान किया जाए तथा उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है. यह रकम उस व्यक्ति द्वारा देय होगी, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी हो:

परन्तु किसी भी मामले में इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जब ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गई है कि वह धारा १३ या धारा १४ के उल्लंघन में लिखी गई है, तब यदि कलेक्टर, यह ठीक समझे तो, इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा;

(ग) इस अध्याय के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए, कलक्टर को साक्षियों को जिनमें लिखत के पक्षकार अथवा उनमें से कोई सम्मिलित है, समन करने तथा हाजिर कराने की तथा उसी माध्यम से और जहां तक हो सके, उसी रीति में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का संख्यांक ५) के अधीन किसी सिविल न्यायालय के मामले में उपबंधित है;

(घ) कलक्टर द्वारा उपधारा (१) के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध, विहित रीति में, सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित अधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु कोई अपील ग्राह्य नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसा व्यक्ति कलक्टर द्वारा आदेशित कम स्टाम्प शुल्क की राशि का कम से कम २५ प्रतिशत जमा नहीं कर देता. ऐसी राशि अपीलीय अधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार देय राशि के विरुद्ध समायोज्य अथवा जमा किए जाने की तारीख से प्रति माह या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत ब्याज के साथ वापसी योग्य होगी;

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन अपील में पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध, विहित रीति में, मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी को अपील कर सकेगा;

(च) प्रत्येक प्रथम तथा द्वितीय अपील उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील फाईल की गई हो, संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उस आदेश की, जिसके संबंध में आपत्ति की गई हो, एक प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ फाईल की जाएगी तथा ऐसी रीति में, उपस्थापित एवं सत्यापित की जाएगी, जो कि विहित की जाए:

परन्तु पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा, जो कि उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो;

(छ) अपीलीय प्राधिकारी, अपील का विनिश्चय करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी कि विहित की जाए:

परन्तु कोई भी आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा.

(ज) यथास्थिति प्रथम अथवा द्वितीय अपील में पारित आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, कलक्टर द्वारा उपधारा (१) के अधीन पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष चाहे वह कोई भी हो, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

(२) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपधारा (१) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन प्रत्येक प्रमाण-पत्र, उसमें वर्णित विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा.

(३) जहां कि कोई लिखत धारा ३८ की उपधारा (२) के अधीन कलक्टर को भेजी गई है, वहां कलक्टर इस धारा द्वारा यथा उपबंधित कार्यवाही कर लेने के पश्चात् उसे परिबद्ध करने वाले अधिकारी को लौटा देगा.''.

धारा ४१ का स्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा ४१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

घटनावश असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतें.

''४१. रसीद या विनिमय-पत्र या वचन-पत्र से भिन्न कोई ऐसी लिखत, जो शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वप्रेरणा से उसके निष्पादन अथवा प्रथम निष्पादन की तारीख के एक वर्ष के भीतर कलक्टर के समक्ष पेश की जाती है और ऐसा व्यक्ति कलक्टर की जानकारी में यह तथ्य लाता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है और उचित शुल्क की रकम, अथवा उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिये प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से दो प्रतिशत के बराबर ब्याज के साथ चुकाने की कलक्टर को प्रस्थापना करता है, और कलक्टर का समाधान हो जाता है कि ऐसी लिखत घटनावश, भूल या अत्यधिक आवश्यकता के परिणामस्वरूप सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं हो पाई थी, तो वह ऐसी रकम स्वीकार कर सकेगा और इसके पश्चात् इसमें विहित रूप से आगे की कार्यवाही करेगा:

परन्तु किसी भी मामले में इस प्रकार संगणित ब्याज की राशि वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी.''.

धारा ४५ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४५ में,—

(एक) उपधारा (१) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

(२) जहां कि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की राय में उस शुल्क से जो वैध रूप से प्रभार्य है, अधिक स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है और उसका भुगतान कर दिया गया है, वहां ऐसा प्राधिकारी भुगतान के छह माह के भीतर लिखित रूप से आवेदन किया जाने पर उस आधिक्य को, अवधारित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए वापस लौटा सकेगा.''.

धारा ४७-क का लोप.

८. मूल अधिनियम की धारा ४७-क का लोप किया जाए.

धारा ४८-ख का स्थापन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४८-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

जहां किसी लिखत की प्रति से स्टाम्प शुल्क की कमी ध्यान में आती है.

''४८-ख. जहां किसी लिखत की प्रति से स्टाम्प शुल्क की कमी ध्यान में आती है, वहां कलक्टर मूल लिखत पर संदत्त शुल्क की रकम की पर्याप्तता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, आदेश द्वारा उस व्यक्ति से, जिसके कब्जे या अभिरक्षा में वह मूल लिखत है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी मूल लिखत पेश करे. यदि मूल लिखत, आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उसके समक्ष पेश नहीं की जाती है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि मूल लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है और कलक्टर धारा ४० में उपबंधित रीति में कम स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही कर सकेगा:

परन्तु कलक्टर का यह प्रमाण-पत्र कि दस्तावेज सम्यक् रूप से स्टाम्पित है, मूल दस्तावेज पर पृष्ठांकित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी कार्रवाई, ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के पश्चात् नहीं की जाएगी.''.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:— धारा ५३ का संशोधन.

"(ग) स्वविवेकानुसार, प्रत्येक रुपये या रुपये के प्रभाग के लिए दो नये पैसे कटौती करके उसी मूल्य के बराबर धनराशि.".

११. मूल अधिनियम की धारा ७३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ७३ का स्थापन.

"७३. प्रत्येक लोक अधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निकाय जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तकें, अभिलेख, कागज, दस्तावेज, कार्यवाहियां या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं, जिसके निरीक्षण का यह परिणाम हो सकता है कि कोई शुक्ल अभिप्राप्त हो या किसी शुल्क के संबंध में कपट या लोप साबित या प्रकट हो जाए, कलक्टर द्वारा लिखित में प्राधिकृत किए गए, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) में यथा परिभाषित उप पंजीयक की पदश्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को ऐसे प्रयोजन के लिये किसी फीस या प्रभार के बिना उन रजिस्टरों, पुस्तकों, अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों, कार्यवाहियों तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का निरीक्षण सभी युक्तियुक्त समयों पर करने देगा और ऐसी प्रतियां, टिप्पण और उद्धरण लेने देगा जो वह आवश्यक समझे. यदि आवश्यक हो तो, ऐसा प्राधिकृत अधिकारी धारा ३३ के अधीन दस्तावेज परिबद्ध करने हेतु लोक अधिकारी अथवा संबंधित व्यक्ति को निर्देश देगा जिसमें असफल रहने पर वह स्वयं उसे परिबद्ध करने हेतु कार्यवाही करेगा. पुस्तकें आदि निरीक्षण के लिये खुली रहेंगी.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "कलक्टर" से अभिप्रेत है जिले का कलक्टर.".

१२. मूल अधिनियम की धारा ७६-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ७६-क का स्थापन.

"७६-क. (क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे प्रदत्त समस्त या कोई शक्ति मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को, और कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन.

(ख) अधिनियम के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त की गई समस्त या कोई शक्ति राज्य सरकार के ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों को, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं,

प्रत्यायोजित कर सकेगी.".

१३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में अनुच्छेद ३६ (दान) के स्पष्टीकरण, अनुच्छेद ४८ (विभाजन) के स्पष्टीकरण-एक, अनुच्छेद ५० (मुख्त्यारनामा) के स्पष्टीकरण-एक, अनुच्छेद ५४ (निर्मुक्ति) के स्पष्टीकरण तथा अनुच्छेद ५७ (व्यवस्थापन) के स्पष्टीकरण-दो में शब्द "बहन" के स्थान पर शब्द "बहन, पुत्र-वधु" स्थापित किए जाएं. अनुसूची १-क का संशोधन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) एक केन्द्रीय अधिनियम है. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कतिपय संशोधन व नए उपबंध निम्नलिखित उद्देश्यों और कारणों से प्रस्तावित किए जा रहे हैं:—

१. धारा २ का संशोधन आवश्यक है, क्योंकि "**स्टाम्प**" और "**सम्यक् रूप से स्टाम्पित**" की प्रचलित परिभाषा स्पष्ट नहीं हैं, "**व्यवस्थापन**" की परिभाषा का शुल्क बचाने के लिए दुरूपयोग किया जा सकता है और कुछ परिभाषाएं जोड़ी जाना हैं.

२. कम स्टाम्प शुल्क पर ब्याज के लिए धारा ३५ में संशोधन आवश्यक है.

३. धारा ४० का स्थापन आवश्यक है क्योंकि धारा ४७-क के लोप के आलोक में अपील का उपबंध अन्त:स्थापित किया जा रहा है.

४. धारा ४१ का स्थापन आवश्यक है क्योंकि इन मामलों में स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ ब्याज भी प्रभारित किया जाना चाहिए.

५. अधिक ले लिए गए स्टाम्प शुल्क को वापिस करने का उपबंध करने के लिए धारा ४५ का संशोधन आवश्यक है.

६. धारा ४७-क का लोप आवश्यक है, क्योंकि धारा ३३ से ४० तक में पहले ही उपबंध सम्मिलित कर लिए गए हैं.

७. धारा ४८-ख का स्थापन आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में लिखत की प्रति पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है.

८. धारा ५३ का संशोधन आवश्यक है क्योंकि ई-स्टांपिंग में अधिकतर त्रुटियां लिपिकीय प्रकृति की हैं. अत: १० प्रतिशत की वर्तमान कटौती बहुत अधिक है.

९. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में धारा ७३ का स्थापन आवश्यक है.

१०. उपबंधों को और व्यापक बनाने के लिए धारा ७६-क का स्थापन आवश्यक है.

११. परिवार की परिभाषा में "पुत्र-वधू" को सम्मिलित करने के लिए अनुसूची १-क का संशोधन है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक १६ मार्च, २०१६.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१६ के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

(१) खण्ड ५-द्वारा परिबद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने;

(२) खण्ड ६-द्वारा असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखतें सम्यक् रूप से स्टाम्पित किए जाने;

(३) खण्ड ९ द्वारा लिखत की प्रति से स्टाम्प शुल्क की कमी होने पर शास्ति की वसूली की कार्यवाही किए जाने; तथा

(४) खण्ड १२ द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को और मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को कतिपय शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु नियम बनाएं जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) से उद्धरण.

* * * * *

१. धारा २ (११) "**सम्यक् रूप से स्टांपित**" से जब कि वह किसी लिखत के बारे में प्रयुक्त है, यह अभिप्रेत है कि समुचित रकम से अन्यून रकम का आसंजक या छापित स्टाम्प उस लिखत पर लगा हुआ है, ऐसा स्टाम्प भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाया गया है या उपयोग में लाया गया है;

(२४) "**व्यवस्थापन**" से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का कोई ऐसा लिखत अवसीयती व्ययन अभिप्रेत है, जो:—

(क) विवाह के प्रतिफल के लिए किया गया है, या

(ख) व्यवस्थापन की सम्पत्ति को उनके कुटुम्ब के या उन व्यक्तियों के बीच जिनके लिए वह व्यवस्था करना चाहता है वितरित करने के प्रयोजन के लिए या उस पर आश्रित व्यक्ति के लिये व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए किया गया है, या

(ग) धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किया गया है;

और इसके अंतर्गत ऐसा व्यय करने के लिए कोई लिखित करार है और जहां कि कोई ऐसा व्ययन लिखित में नहीं किया गया है, वहां किसी ऐसे प्रयोजन के निबंधनों को चाहे वह न्यास की घोषणा के तौर पर या अन्य प्रकार का हो; अभिलिखित करने वाली कोई लिखत है;

(२६) "**स्टाम्प**" से अभिप्रेत, इस अधिनियम के प्रयोजनों के अन्तर्गत, शुल्क प्रभारित करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा, सम्यक्त: प्राधिकृत किसी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा कोई चिन्ह, मुद्रा या पृष्ठांकन और इसमें आसंजक अथवा छापित मुद्रा सम्मिलित है.

* * * * *

२. धारा ३५

(क) कोई ऐसी लिखत, जो शुल्क जिससे वह प्रभार्य है अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ पांच रुपये की शास्ति अथवा जब उसके उचित शुल्क या कमी वाले भाग के दस गुनी रकम, पांच रुपये से अधिक हो, तब ऐसे शुल्क या भाग के दस गुने के बराबर राशि दे दिए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी;

* * * * *

(घ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ का ५) के अध्याय १२ या अध्याय ३६ के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दाण्डिक न्यायालय की किसी कार्यवाही में किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किए जाने से निवारित नहीं करेगी;

* * * * *

(च) कोई ऐसी लिखत, जो विनिमय-पत्र या वचन-पत्र नहीं है, सभी न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए उस शुल्क के, जिससे वह प्रभार्य है अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम के दे दिए जाने पर रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमणित की जाएगी.

* * * * *

३. **धारा ४०** (१) जब कि कलेक्टर किसी लिखत को, जो (रसीद) या विनिमय-पत्र या वचन-पत्र नहीं है, धारा ३३ के अधीन परिबद्ध करता है या धारा ३८ की उपधारा (२) के अधीन उसे भेजी गई किसी लिखत को प्राप्त करता है, तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा:—

(क) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टांपित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह यथास्थिति सम्यक् रूप से स्टांपित है या वह इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टांपित नहीं है तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ पांच रुपए की शास्ति अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उचित शुल्क या उसकी कमी वाले भाग की रकम के दस गुने से अनधिक रकम, चाहे ऐसी रकम पांच रुपए से अधिक हो या कम हो, दी जाए:

परन्तु जब कि ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गई है कि वह धारा १३ या धारा १४ के उल्लंघन में लिखी गई है, तब यदि कलेक्टर ठीक समझता है तो वह इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा.

(२) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन हर एक प्रमाण-पत्र उसमें वर्णित विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा.

(३) जहां कि कोई लिखत धारा ३८ की उपधारा (२) के अधीन कलेक्टर को भेजी गई है, वहां कलेक्टर इस धारा द्वारा यथा उपबंधित कार्यवाही कर लेने के पश्चात् उसे परिबंधन अधिकारी को लौटा देगा.

* * * * *

४. **धारा ४१.** (रसीद) या विनिमय पत्र या वचन-पत्र से भिन्न कोई ऐसी लिखत, जो शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टांपित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वप्रेरणा से उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन की तारीख के एक वर्ष के भीतर कलेक्टर के समक्ष पेश की जाती है और ऐसा व्यक्ति कलेक्टर की जानकारी में यह तथ्य लाता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टांपित है, कलेक्टर को उचित शुल्क की रकम या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम देने की प्रस्थापना करता है और कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि ऐसी लिखत घटनावश, भूल या अत्याधिक आवश्यकता के परिणामस्वरूप सम्यक् रूप से स्टांपित नहीं हो पाई थी तो वह धारा ३३ और धारा ४० के अधीन कार्यवाही करने के बदले ऐसी रकम स्वीकार कर सकेगा और इसके पश्चात् इसमें विहित रूप से आगे की कार्यवाही करेगा.

* * * * *

५. **धारा ४५.** (१) जहां कि धारा ३५ या धारा ४० के अधीन कोई शास्ति दी गई है, वहां मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, उसके दिए जाने की तारीख के एक वर्ष के भीतर लिखित रूप में आवेदन किए जाने पर ऐसी पूरी शास्ति को या उसका भाग वापस लौटा सकेगा.

(२) जहां कि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की राय में उस शुल्क से जो वैध रूप से प्रभार्य है, अधिक स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है और धारा ३५ या धारा ४० (या धारा ४७-क) के अधीन दे दिया गया है, वहां ऐसा प्राधिकारी ऐसा शुल्क प्रभारित करने के आदेश के तीन मास के भीतर लिखित रूप से आवेदन किए जाने पर उस आधिक्य को वापस लौटा सकेगा.

* * * * *

६. **धारा ४७-क.** (१) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का सं. १६) के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार किसी लिखत की रजिस्ट्री करते समय यह पाता है कि उस सम्पत्ति का, जो कि ऐसे लिखत की विषय-वस्तु है, बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम उपवर्णित किया है तो वह ऐसे लिखत की रजिस्ट्री करने के पूर्व उसे ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के तथा उस पर देय उचित शुल्क के अवधारण के लिए कलेक्टर को निर्देशित करेगा.

(१-क) जहां कि लिखत दर्ज किया गया बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि बाजार मूल्य लिखत में सही-सही दर्ज नहीं किया गया है तो वह ऐसे लिखत की रजिस्ट्री करेगा और उसके पश्चात् उसे ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के तथा उस पर देय उचित शुल्क के अवधारण के लिए कलेक्टर को निर्देशित करेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर कलेक्टर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, जांच करने के पश्चात् उस सम्पत्ति के, जो कि ऐसे लिखत की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य का तथा पूर्वोक्त शुल्क का अवधारणा करेगा. शुल्क की रकम में अन्तर यदि कोई हो उस व्यक्ति द्वारा देय होगा, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो.

(३) कलेक्टर स्वप्रेरणा से किसी ऐसे लिखत के, जो कि उपधारा (१) अधीन उसे पहले ही निर्देशित न किया गया हो, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर लिखत को मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा, जिससे कि वह उस सम्पत्ति के, जो कि किसी ऐसे लिखत की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य के तथा उस देय शुल्क के सही होने के संबंध में स्वयं का समाधान कर सके और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य लिखत में सही-सही दर्ज नहीं किया गया है तो वह उपधारा (२) में उपबंधित की गई प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण कर सकेगा. शुल्क की रकम में अन्तर, यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा देय होगा, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो:

परन्तु इस उपधारा में की गई कोई भी बात किसी ऐसे लिखत को लागू न होगी, जो कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारंभ होने की तारीख से रजिस्ट्रीकृत किया गया हो.

(३-क) इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए कलेक्टर को साक्षियों या उनमें से किसी को भी जिनमें लिखत के पक्षकार भी सम्मिलित हैं, समन करने तथा हाजिर कराने की तथा उसी माध्यम से और जहां तक हो सके, उसी रीति में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (केन्द्रीय अधिनियम, १९०८ का सं. ५) के अधीन सिविल न्यायालय के मामले में उपबंधित है.

(४) उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन दिए गए कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील विहित रीति में आयुक्त को कर सकेगा, जो या तो स्वयं अपील का विनिश्चय कर सकेगा या उसे सम्भाग के अपर आयुक्त को अंतरित कर सकेगा.

(५) उपधारा (४) के अधीन अपील में पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील विहित रीति में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, मध्यप्रदेश को कर सकेगा.

(६) प्रत्येक (प्रथम तथा द्वितीय) अपील उस आदेश की जिसके कि विरुद्ध अपील फाईल की गई हो, संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उस आदेश की, जिसके कि संबंध में आपत्ति की गई हो, एक प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ फाईल की जायेगी तथा ऐसी रीति में जैसी की विहित की जाए उपस्थापित एवं सत्यापित की जाएगी:

परन्तु पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में वह समय छोड़ दिया जाएगा, जो कि उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो.

(७) अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी कि विहित की जाए:

परन्तु कोई भी आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा.

(८) द्वितीय अपील में पारित आदेश या जहां कोई द्वितीय अपील न की गई हो, वहां प्रथम अपील में पारित आदेश अंतिम होगा और यथास्थिति प्रथम या द्वितीय अपील में पारित किए गए आदेशों के अध्यधीन रहते हुए वह आदेश, जो कलेक्टर द्वारा उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन पारित किया गया हो, अंतिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का प्राक्कलन उस कीमत के रूप में किया जाएगा, जो यथास्थिति कलेक्टर या अपील प्राधिकारी की राय में लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में विक्रय किए जाने की दशा में उस सम्पत्ति के लिए प्राप्त हुई होती या प्राप्त होगी.

* * * * *

७. **धारा ४८-ख.** जहां किसी लिखत की प्रति से स्टाम्प शुल्क की कमी ध्यान में आती है, वहां कलेक्टर मूल लिखत पर संदत्त शुल्क की रकम की पर्याप्तता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा उस व्यक्ति से, जिसके कब्जे या अभिरक्षा में वह मूल लिखत है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी मूल लिखत पेश करे. यदि मूल लिखत आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उसके समक्ष पेश नहीं की जाती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि मूल लिखत सम्यक् रूप से स्टांपित नहीं है और कलेक्टर इस अध्याय में उपबंधित रीति में कार्यवाही कर सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाही ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के पश्चात् नहीं की जाएगी.

* * * * *

८. **धारा ५३(ग).** स्वाविवेकानुसार प्रत्येक रुपए या रुपए के प्रभाग के लिए (दस नए पैसे) कटौती करके उसी मूल्य के बराबर धनराशि.

* * * * *

९. **धारा ७३.** (१) प्रत्येक लोक अधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निकाय जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागज, दस्तावेज या कार्यवाहियां हैं, जिनके निरीक्षण का यह परिणाम हो सकता है कि कोई शुल्क प्राप्त हो जाए या किसी शुल्क के संबंध में कोई कपट या लोप साबित हो जाए या प्रकट हो सकता है, कलेक्टर द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, किसी फीस या प्रभार के बिना सभी युक्तियुक्त समयों पर किन्हीं भी परिसरों में प्रवेश करने देगा और ऐसे प्रयोजन के लिए उन रजिस्टरों, पुस्तकों, अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण करने देगा और ऐसे टिप्पण और उद्धरण लेने देगा जो वह आवश्यक समझे और यदि अनावश्यक हो तो उन्हें अभिगृहीत करने देगा तथा धारा ३३ के अधीन उन्हें परिबद्ध करने देगा:

परन्तु किसी लोक अधिकारी या व्यक्ति की अभिरक्षा में के किन्हीं रजिस्टरों, पुस्तकों, अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों या अन्य कार्यवाहियों का ऐसा अभिग्रहण नहीं किया जाएगा. यदि उसकी अनुप्रमाणित फोटो प्रतियां अनुप्रमाणित सत्य प्रति इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को दे दी जाती है.

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में ऐसे रजिस्टर, पुस्तकें, अभिलेख, कागज, दस्तावेज या कार्यवाहियां हैं, या जो उन्हें बनाए रखता है, उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वैसी अपेक्षा की जाने पर, सभी युक्तियुक्त समयों पर उन्हें ऐसे अधिकारी के समक्ष पेश करेगा और ऐसे अधिकारी को उनका निरीक्षण करने देगा और ऐसे टिप्पण और उद्धरण लेने देगा, जो वह आवश्यक समझे.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए "कलेक्टर" से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर.

* * * * *

१०. **धारा ७६-क.** राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी:—

(क) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को धारा २(९), ३३(३)(ख), ७०(१), ७४ और ७८ द्वारा प्रदत्त की गई सभी या कोई भी शक्तियां; और

(ख) किसी अधीनस्थ राजस्व प्रधिकारी को, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, धारा ४५(१) (२). ५६(१) और ७० (२) द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त की गई सभी या कोई भी शक्तियां.

* * * * *

११. **अनुसूची १-क के.—(i) अनुच्छेद ३६(दान) का स्पष्टीकरण.**—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.

(ii) **अनुच्छेद ४८ (विभाजन) का स्पष्टीकरण-एक.**—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.

(iii) **अनुच्छेद ५० (मुख्त्यारनामा) का स्पष्टीकरण-एक.**—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.

(iv) **अनुच्छेद ५४ (निर्मुक्ति) का स्पष्टीकरण.**—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.

(v) **अनुच्छेद ५७ (व्यवस्थापन) का स्पष्टीकरण-दो.**—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.